

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 54/2017 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता
एफबीओ मैसर्स:— न्यू खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा ।
निवासी:— सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपटित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 11.10.2017



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 12.3.2017 को प्रातः 10:30 बजे मैसर्स न्यू खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, सैथल रोड, बाईपास चौराहा, बजरंग कॉलोनी दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक एल्यूमिनियम की बडी ट्रे में 4-5 किग्रा बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इसमें से 2 किग्रा बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 480 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) को कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द कर कांच की बोतलो पर

न्याय निर्णय अधिकारी एच
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 54/2017 एफ एस एस एक्ट

गोंद से चिपकाया। कांच की बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर किनोरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1605 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउंड पर चिपकाकर कांच की बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर कांच की बोतलों को चार-चार जगह उपर नीचे व साइडो से चपडी से सील मोहर कर कांच की बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द कांच की बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.3.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./568/एक्ट/2017/635 दिनांक 12.4.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविज्ञा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी से पूर्व में लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये हैं। ट्रे में से बर्फी को छुडाने के लिये हल्का सा चौपडने की वजह से बी०आर० रीडिंग बढ गई है, इसके अलावा और किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण को झोप फरमावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्र० सं० : 54/2017 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./568/एक्ट/2017/635 दिनांक 12.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई (मावा चीनी से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता एफबीओ मैसर्स:- न्यू खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा निवासी:- सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा पर 11000/- (अक्षरे ग्यारह हजार) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.10.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 13.10.2017

क्रमांक/ 6619-21

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता
एफबीओ मैसर्स:- न्यू खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा।
निवासी:- सैथल रोड, बाईपास चौराहा, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 13.10.2017

